Research Paper Sociology

अधिनियम (R.T.E. 2009 की क्रियान्विति में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका)

Adhiniyam (R.T.E. 2009 ki Kriyanviti Me Vibbhinna Abhikarano Ki Bhumika)

* Dr. Anupama Verma

* Lecturer, Haribhau Upadhyay Women Education University, Hatundi, Ajmer, Rajasthan

ABSTRACT

निःषुल्क व अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :– जिसे संसद के दोनों सदनों ने जुलाई – अगस्त 2009 में पारित किया था तथा राश्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2009 में प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6–14 वर्श तक की आयु के सभी बालकों को निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का कानूनी प्रावधान है। इसके लिये केन्द्र व राज्य सरकार के खर्च का हिस्सा 65 : 35 रखा गया है।

निःषुल्क व अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने में सरकार के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका भी अपना विषेश स्थान रखती है, जिसे अधिनियम की ध ाारा 8, 9 व 10 में वर्णित किया गया है जो सरकार के समुचित कर्तव्य, स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य तथा माता–पिता व संरक्षक के कर्तव्यों में वर्णित है।

प्रस्तावना –

''न पढ़ने वालों से व श्रेश्ठ है जो पढ़ते हैं, पढ़ने वालों से वे श्रेश्ठ हैं जो पढे हुए का स्मरण रखते हैं, स्मरण रखने वालों से वे श्रेश्ठ हैं जो पढ़े हुए के अभिप्राय को समझते हैं, उनसे भी वे श्रेश्ठ हैं जो उसके अनुसार आचरण करते हैं।''

उपरोक्त षब्द मनुस्मृति में कहे गये हैं जो हमारे प्राचीन ग्रन्थों में से एक हैं। अतः यह तो स्पश्ट है कि षिक्षा का महत्व हमारे देष में प्राचीन काल से ही रहा है तथा भारत सरकार भी इस महत्व को बनाये रखने हेतु वचनबद्ध है। इसी सन्दर्भ में हमारे देष में 6–14 वर्श तक की आयु के सभी बालकों को निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान है।

निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा हेतु भारत में सर्व प्रथम डॉ. ज्योतिबा फुले द्वार निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा की बात 1870 में पारित ब्रिटेन के अनिवार्य षिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, हण्टर कमीषन कही गयी थी। 1906 में इम्पीरियल लेजिसलटिव असेम्बली से श्री गोपाल कृश्ण गोखले द्वारा 1937 में महात्मा गाँधी द्वारा वर्धा में राश्ट्रीय षिक्षा परिशद की बैठक में 1948–49 में संविधान सभा के समक्ष भी यह प्रष्न खड़ा हुआ परन्तु संविधान सभी की सलाहकार समिति ने इसे मौलिक अधिकार न मानते हुए नीति निर्देषक सिद्धान्तों की सूची में स्वीकार किया। नीति निर्देषक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 के अनुसार ''राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में सभी बच्चों के लिए जब तक ि कवे 14 साल की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते, अनिवार्य व निःषुल्क षिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता हाथ लगी।

इसी सन्दर्भ में सभी बच्चों के लिए षिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में प्रदत्त निर्णय में यह कहा गया कि षिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्श तक सभी बच्चों को अनिवार्य व निःषुल्क प्रारम्भिक षिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस निर्णय के उपरान्त 86 वां संवेधानिक संषोधन 2002 के अन्तर्गत मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 ए को सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार 6–14 वर्श तक के बालकों के लिए निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान किया गया। इस दिषा में वर्तमान भारत सरकार व राज्य सरकार षिक्षा के प्रति विषेश रूप से संवेदनषील दिखाई पड़ रही है।

निःषुल्क व अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार 2009 सम्पूर्ण भारत में जम्मु व कष्मीर राज्य को छोड़कर देष के सभी राज्यों में लागू हो चूका है। विष्व में ऐसे बहुत कम देष हैं जहां बच्चों को अनिवार्य व निःषुल्क षिक्षा देने की राश्ट्रीय व्यवस्था लागू है परन्तु भारत इस दिषा में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आधार प्रदान कर रहा है।

धारा 8 के सरकार के समुचित कर्तव्यों के अन्तर्गत प्रत्येक बालक को निःषुल्क व अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा उपलब्ध करायेगी। 6–14 वर्श तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा अनिवार्य प्रवेष प्राथमिक षिक्षा में उपस्थिति और उसको पूरा करने को बाध्यता अभिप्रेरित है। इसके लिये प्रत्येक बसावट हेतु छमतहीइवनत भ्ववक में स्कूल उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व है तथा विद्यालय आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा भी सरकार को दिलानी होगी परन्तु देखा जाये तो क्या सरकार यह व्यवस्था कर पायी है? यदि कहीं पर सरकार द्वारा पड़ौस में विद्यालय उपलब्ध करा भी दिया है तो क्या आवागमन के साध नों की सुविधा प्रदान की गयी है?

सरकार द्वारा दिए गये विभिन्न प्रावधानों में जैसे विद्यालय उपलब्ध कराना, वित्तीय उत्त. रदायित्वों में हिस्सा बढाना, माता–पिता के कर्तव्य, प्रवेष के लिए फीस तथा अनुवीक्षण की प्रक्रिया का ना होना, आयु हेतु सबूत की अनिवार्य बाध्यता का ना होना, प्रवेष हेतु रोकना, प्रवेष पष्चात् बालकों को षारीरिक व मानसिक रूप से परेषान न करना इत्यादि दायित्वों को विभिन्न ऐजेन्सियों के माध्यम से पूरा करना उनका दायित्व है परन्तु सोचने का यह विशय है कि सरकार विद्यालय तथा माता–पिता अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, सरकार नियम व कानून बनाकर स्थानीय अधिकारियों के भरोसे छोड़ देती है तथा दुबारा इस तरफ विषेश कदम नहीं उठाया जाता है। आज भी पब्लिक स्कूलों में प्रवेष की लम्बी प्रक्रिया है, आयु सम्बंधी प्रमाण–पत्रों की बाध्यता है, हालांकि यह कहा जा सकता है कि षारीरिक दण्ड में कमी आयी है परन्तु फिर भी यदा कदा भयंकर षारीरिक दण्ड के उदाहरण विद्यालयों में देखने को मिल ही जाते हैं जो विद्यालयी षिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके लिये विद्यालय के दश्टिकोण में बदलाव की आवष्यकता है। विद्यालय को भयमुक्त, तनाव रहित तथा रूचि पूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा। बालकों को इस भय से दूर करना होगा कि ''कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ''। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाएं, किसी को रोका न जाए और ना ही निकाला जाय, सतत् व व्यापक मूल्यांकन करवाया जाय। इसके लिए आवष्यकता इस बात की है कि हम कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में बच्चों को जितना भागीदार बनायेंगे बाताव. रण उतना ही तनाव मुक होता चला जायेगा। तथा इसके लिए 'बाल केन्द्रित वातावरण तथा विद्यालय कार्यो में प्रजातान्त्रिक वातावरण का निर्माण किया जाये। अधिनियम की ध ाारा 9 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सम्बंधित सरकार विद्यालय भवन अध्यापकों तथा षिक्षण सामग्री की व्यवस्था करेगी। तथा पूर्ण निरीक्षण किया जायेगा कि विद्यार्थी प्रवेष, उपस्थिति तथा प्राथमिक षिक्षा पूरी हो पा रही है या नहीं तथा अध्यापकों के प्रषिक्षण की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम को प्रभावी बनाने में आधार स्तम्भ साबित होगा परन्तु क्या स्थानीय अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था दे पा रहे हैं जो इसे कारगर करे, क्योंकि विद्यालयों में ना तो पर्याप्त खेल सामग्री होती है जो बच्चों की विद्यालय के प्रति रूचि जागृत करे तथा जो षारीरिक विकास करने में सक्षम है और ना ही प्रयोग षालाओं में पर्याप्त उपकरण उपलब्ध है। कम्प्यूटर व इन्टरनेट की सुविधा का प्रयास किया जा रहा है परन्तु गांवों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति ना होने के कारण व्यर्थ है, ना ही समय की आवष्कता को देखते हुए नये–नये पाठ्यक्रम लागु किये जा रहे हैं जो आज के प्रायोगिकी युग की आवष्यकता है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार षिक्षा प्राप्ति हेतु माता–पिता व संरक्षक के कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गयी है। अधिनियम के अनुसार विद्यालय में प्रविश्ट बालकों के माता–पिता तथा षिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर एक प्रबंध समिति का निर्माण किया जाय जिसमें कम से कम 3/4 सदस्य माता–पिता या संरक्षक होंगे जिसमें 50 प्रतिषत महिलाएं होगी जिनका यह कर्तव्य होगा कि विद्यालय की कार्यकारीणी गतिविधियों का उचित प्रकार से संचालन तथा विद्यालयों के विकास हेतु योजनाएं तैयार करना तथा प्राप्त अनुदान को छात्रोपयोगी कार्यो में लगाना। देखा जाये तो इस दिषा में सरकार का यह कदम काफी कारगर सिद्ध होगा क्योंकि इसे स्थानीय अभिभावकों की विद्यालय, विद्यालय गतिविधियों, षिक्षण तथा षिक्षा में रूचि जागृत होगी तथा षिक्षा प्राप्ति हेतु छात्रों को प्रेरित करने में रूचि दिखायेंगे जो षिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने में सहायक होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपसी समन्वय व सामुहिक प्रयत्नों द्वारा यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाये तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है।

REFERENCES

Proceeding in UGC sponger national seminar on 11-12 March 2012 in Hari Bhau Upadhyay C.T.E., Hantundi (Ajmer) Raj. |